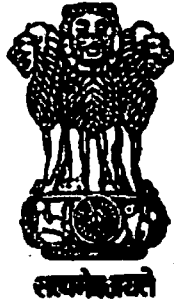


पुस्तकालय

②
3376
11/11/2015



असंशोधित

26 DEC 2014

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा

गै.सं.प्रै.सं.००१०१५ तिथि ३१-१२-१५

टर्न-10/सत्येन्द्र/26-12-14

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव(मंत्री)(कमशः)मोरियारी-यह जाति बिहार हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्ग की अनुसूची-1 के क्रमांक 67 पर स्थित है जिसके तहत उक्त जाति के सदस्यों को आरक्षण का लाभ एवं अन्य सुविधाएं देय है। तत्काल इसे अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वनपर-यह जाति बिहार हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची अनुसूची-1 के क्रमांक 73 पर है जिसके तहत उक्त जाति के सदस्यों को आरक्षण का लाभ एवं अन्य सुविधाएं देय है। तत्काल इसे अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प कृपया वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह अपना संकल्प वापस लेंगे?

श्री रत्नेश सदा: वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-14(श्री राजीव रंजन)

श्री राजीव रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के इस्लामपुर नगर पंचायत जो नगर परिषद की सारी शक्तों को पूरा करता है को नगर परिषद का दर्जा प्रदान करे।’

श्री श्रवण कुमार(मंत्री): समय चाहिए। मंत्री जी कौन्सिल में है।

क्रमांक-15(श्री अवधेश कुमार राय)

श्री अवधेश कुमार राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा-समसा पथ जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है का जीर्णोद्धार करावे।’

टर्न-10/सत्येन्द्र/26-12-14

..

श्री श्रवण कुमार(मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,अभिस्तावित पथ की लम्बाई 7.3 कि०मी० है जिसका निर्माण पी०एम०जी०एस०वाई अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी सी०पी०डब्लू०डी० द्वारा कराया गया है। इस पथ के कार्य समाप्ति की तिथि 28-4-10 है तथा अनुरक्षण कार्य 28-4-2015 तक किया जाना है। भारी वाहनों के आवागमन से सड़क पर कहीं कहीं गड्ढे हो गये हैं। केन्द्रीय एजेंसी सी०पी०डब्लू०डी० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक को यथाशीघ्र पथ अनुरक्षण का निर्देश दिया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय।

श्री अवधेश कुमार राय: अध्यक्ष महोदय,यह पथ सी०पी०डब्लू०डी० द्वारा निर्मित है। ठीक ही कहा माननीय मंत्री जी ने ये पांच साल तक किया जाना है इसका अनुरक्षण लेकिन यह पथ बनते ही इतना जर्जर और खराब हो गया, घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब इस पथ पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है और संवेदक चार साल,पांच साल बीत गया न देखा है और एक साल में देखेगा कि नहीं देखेगा इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि सी०पी०डब्लू०डी० इस पथ को जो पूर्णतः घटिया क्वालिटी का बना था फिर से अनुरक्षित करके उसको चालू करने लायक बनायेगी?

श्री श्रवण कुमार(मंत्री): सी०पी०डब्लू०डी० को निर्देश दिया गया है महोदय कार्य कराने का अगर समय सीमा के अन्दर वो कार्य नहीं करायेगी महोदय तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे और पथ को भी ठीक करवायेंगे। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अवधेश कुमार राय: वापस लिया।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार राय जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-16(श्री नरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत एस०ई०सी०सी०2011 के